HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14062/2026
CNR: RJHC020866932026 | URN: CRLMB / 25990U / 2026

Raju Sharma S/o Naresh Sharma, Aged About 25 Years, R/o Purana Ghaat, Agra Road, Police Station Transport Nagar, Jaipur East. (At Present In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Javed Mohd. Khan Mr. Shyam Bihari Gautam
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रकरण की शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या–1/2026 पर सुना गया।

प्रकरण आज सूचीबद्ध हो चुका है, अतः उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–ट्रांस्पोर्ट नगर, जयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **177/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 309(4) बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है तथा जिस सहअभियुक्त राहुल बैरागी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है, के सहित अन्य अभियुक्तगण निखिल उर्फ लकी शर्मा, मुकुल गोयर, शिवम

प्रजापत व किशन गुर्जर पूर्व में जमानत पर मुक्त हो चुके हैं। प्रार्थी–अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसकी पहचान के सम्बन्ध में शिनाख्तगी परेड भी नहीं हुई है। अनुसंधान के उपरांत जिन पांच व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ था, उनमें से चार अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उसके विरूद्ध पूर्व के जो सात आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं, उनमें से पांच मामले आरपीजीओ से सम्बन्धित है, एक मामला आबकारी अधिनियम का है व एक मामला मारपीट से सम्बन्धित है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 10.8.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसने परिवादी के साथ मारपीट कर उससे रूपये छीन लिए। गंभीर अपराध है। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है तथा जिस सहअभियुक्त राहुल बैरागी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है, के सहित अन्य अभियुक्तगण निखिल उर्फ लकी शर्मा, मुकुल गोयर, शिवम प्रजापत व किशन गुर्जर पूर्व में जमानत पर मुक्त हो चुके हैं। प्रार्थी–अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसकी पहचान के सम्बन्ध में शिनाख्तगी परेड भी नहीं हुई है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के जो सात आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं, उनमें से पांच मामले आरपीजीओ से सम्बन्धित है, एक मामला आबकारी अधिनियम का है व एक मामला मारपीट से सम्बन्धित है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 10.8.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना,

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

26/JITENDRA SINGH PANWAR